न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

(र्थ)ना –पत्र नम्बर 10/2026
(उ)नवान सरजीतकौर बनाम स्टेट
(प्रा)र्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए

अमनकुमार पुत्र विनोद कुमार जाति जाट निवासी ढाणी चक 4 आरटीपी
विनोद कुमार पुत्र राजाराम जाति जाट निवासी ढाणी चक 4 आरटीपी
चन्द्रशैला कड़वासरा पत्नि सुरेश कुमार जाति जाट निवासी ढाणी चक 4 आरटीपी
मनुराजे पुत्र सुरेश कुमार जरिये मुखत्यार आम चन्द्रशैला कड़वासरा (माता) जाति जाट निवासी ढाणी चक 4 आरटीपी

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार राजस्व संगरिया। अप्रार्थी

उपस्थित :– प्रार्थीगण स्वंय

–:आदेश:– **दिनांक :–** 6.3.2026

उक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वंय की तरफ से निम्न तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि हम प्रार्थीयान की चक 4 आरटीपी खाता नं. 7 में 1.1385 है. व खाता सं. 307 में 1.3915 है. व चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय में खाता नं. 141 / 118 में 9.109 है. खातेदारी कृषि भूमि है। यह भूमि हम खातेदारान की निजी एकल खाता की भूमि है, किसी अन्य का हक वा हिस्सा वा दखलन्दाजी नहीं है। यह भूमि नहरी कृषि भूमि है। जिसमें सिंचाई पानी की सुविधा हेतू परस्पर सहमति से अपनी ही खातेदारी भूमि में सिंचाई सुविधा हेतू भूमि के नीचे पाईप डालने की स्वीकृति चाहते है। जो कि निम्न प्रकार है:–

1. चक 4 आरटीपी प. नं. 186/186 मु.नं. 18 में उत्तराद्धा पासा में कि.नं. 3–4–5 में पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाई इंच चौड़ाई 165 फुट लम्बाई 5 फुट गहरी कुल 495 फुट लम्बाई
2. चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय में प. नं. 187/186 मु.नं. 42 में उत्तराद्धा पासा में कि.नं.1 में पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाई इंच चौड़ाई 30 फुट लम्बाई 5 फुट गहरी कुल 30 फुट लम्बाई
3. चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय में प. नं. 187/186 मु.नं.42 में कि.नं.1 में पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण की तरफ ढाई इंच चौड़ाई 165 फुट लम्बाई 5 फुट गहरी कुल 165 फुट लम्बाई
4. चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय में प. नं. 187/186 मु.नं.42 में कि.नं. 10 के पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण की तरफ ढाई इंच चौडाई 70 फुट लम्बाई 5 फुट गहरी कुल 70 फुट लम्बाई
5. चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय में प. नं. 187/186 मु.नं. 42 में मध्य से नीचे कि.नं. 10 में पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाई इंच चौड़ाई 135 फुट लम्बाई 5 फुट गहरी कुल 135 फुट लम्बाई
6. चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय में प. नं. 187/186 मु.नं.42 में मध्य से नीचे कि.नं. 8–9 में पश्चिम से पूर्व की तरफ ढाई इंच चौड़ाई 330 फुट लम्बाई 5 फुट गहरी कुल 330 फुट लम्बाई इस प्रकार उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण परस्पर सहमति से अपनी ही खातेदारी भूमि में सिंचाई सुविधा हेतु भूमि के नीचे पाईप डालने की स्वीकृति लेना चाहते है। उपरोक्त तमाम रकबा प्रार्थीयान का खातेदारी, रहनमुक्त एकल खाता का निजी रकबा है जिसमें अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक हिस्सा व दखलन्दाजी नही है।

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्तानुसार उक्त रकबा में प्रार्थीयान को अपने निजि रकबा में सिंचाई सुविधा हेतु ढाई ईंच चौड़ी पाईप लाईन के 5 फुट नीचे डालने की अनुमति दी जावे।

अतः उक्त प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार राजस्व संगरिया से मौका रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार राजस्व संगरिया की मौका रिपोर्ट तथा पत्रावली में अन्य दस्तावेजात का भली–भाति अवलोकन किया गया। अत प्राथीगण की मांग/सिचाई सुविधा एवं सहमति को दृष्टिगत रखते हुए पाईप लाइन डालने की स्वीकृति जारी करने का आदेश निम्न शर्त पर पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है:–

1. पाईप लाईन कम से कम 3 फीट गहरी जमीन के अन्दर होना आवश्यक है अन्य कृषकों को दुविधा नही हों।
2. प्रार्थीगण प्राकृतिक कारणों से हुई किसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की मांग नही करेगा।
3. शर्तो की उल्लघंन पर पाईप लाईन की स्वीकृति कभी भी निरस्त की जा सकेगी।
4. प्रार्थी द्वारा डाली गई पाईप लाईन लिकेज होने पर प्रार्थी लिकेज पाईप को सही करने के लिए पाबन्द रहेगा।
5. पाईप लाईन डालते/लिकेज सही करते समय किसी भी काश्तकार की फसल का या अन्य किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो।
6. गैर मुमकिन रकबे के संबंध में नियमानुसार भूमि की लम्बाई X चौड़ाई के माप किये जाने एवं राजकोष मे नियमानुसार राशि जमा होने के पश्चात् ही प्रश्नगत पाईप लाईन स्वीकृत शुमार समझी जावेगी।

आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251–ए आरटीए स्वीकार कर उक्त शर्तो की पालना के आधार पर प्रार्थीगण को चक 4 आरटीपी प. नं. 186/186 मु.नं. 18 में उत्तराद्धा पासा में कि.नं. 3–4–5 में पश्चिम से पूर्व की तरफ, चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय में प. नं. 187/186 मु.नं. 42 में उत्तराद्धा पासा में कि.नं.1 में पश्चिम से पूर्व की तरफ, चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय में प. नं. 187/186 मु.नं.42 में कि.नं.1 में पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण की तरफ, चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय में प.नं. 187/186 मु.नं.42 में कि.नं. 10 के पश्चिमी पासा में उत्तर से दक्षिण की तरफ,चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय में प. नं. 187/186 मु.नं. 42 में मध्य से नीचे कि.नं. 10 में पश्चिम से पूर्व की तरफ,चक नं. 3 आरटीपी द्वितीय में प. नं. 187/186 मु.नं.42 में मध्य से नीचे कि.नं. 8–9 में पश्चिम से पूर्व की तरफ में 3 फीट गहराई में सिंचाई के लिये पाईप लाईन डालने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। तथा संबंधित भूमि के समस्त काश्तकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थी की सिचाई सुविधा हेतु भूमिगत डाली गई सिंचाई पाईप लाईन मे किसी प्रकार की कोई बाधा/नुकसान कारित नही करेंगें। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 6.3.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया